



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक - 17.03.2019
समय मध्याह्न - 02:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो. हेतराम कछवाह	3-	प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी
4-	प्रो. राजनाथ	5-	प्रो. हरप्रसाद दीक्षित
6-	डा. दिनेश कुमार गर्ग	7-	डा. विशाखा शुक्ला
8-	प्रो. योगेश चन्द्र दुबे	9-	डा. शीला सिंह
10-	डा. सूर्यकान्त	11-	डा. विद्या कुमारी चन्द्रा
12-	वित्ताधिकारी	13-	कुलसचिव - सचिव

मंगलाचरण- प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने मा. कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य मा. प्रो. योगेश चन्द्र दुबे एवं डा. शीला सिंह सहित सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018, 01.11.2018, व 12.11.2018 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018, 01.11.2018, व 12.11.2018 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018, 01.11.2018, व 12.11.2018 में लिये गये निर्णयों के क्रियावयन की सूचना।

कार्यपरिषद् क्रियावयन रिपोर्ट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-3- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं. 22831/2008 श्री निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन पर विचार।

सर्वप्रथम कार्यपरिषद् के समक्ष मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 22831/2008 श्री निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में दिनांक 20.09.2018 को पारित अधोलिखित आदेश प्रस्तुत किया गया।

Court No. - 28

Case :- WRIT - A No. - 22831 of 2008

Petitioner :- Nigmeshwar Pandey

Respondent :- State Of U.P. Thru' Special Secy. & Others

Counsel for Petitioner :- S.K. Dwivedi

Counsel for Respondent :- C.S.C., B.P. Mishra, D.K. Singh, H.P. Shahi, V.B. Mishra, V.K. Singh, Vivek Rai

Hon'ble Ajay Bhanot, J. Heard Sri S. K. Dwivedi, learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the State and Sri V. B. Misra, learned counsel for the University.

2. The petitioner was appointed as a certificate writer in the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi on 30.12.1996. It is claimed by the petitioner that he has been working continuously against the aforesaid post since the date of his appointment. The petitioner also asserts that he possesses the requisite qualifications and eligibility for appointment to the post.
3. A large number of employees in the respondent University were not appointed on a regular basis. Some of these employees were appointed on a contractual basis while others employees were as Ad-hoc, Temporary or on Daily Wage basis. A consolidated salary was paid to many of these employees including the petitioner.
4. The issue of Adhoc appointments and grievances of such employees were not confined to the respondent university. The problem was endemic and affected Universities throughout the state.
5. The State Government constituted a committee which was called the "Paliwal Committee". The brief of the aforesaid committee was "to conduct enquiry and to submit report with regard to the vacancies existing in each of the State University and to submit report for action thereon". The committee went into the issues of staffing pattern and requirements of various universities in the State of U.P. It also made recommendations to the State Government to rationalize the service conditions and address the problems being faced by the employees who were not working against the regular and sanctioned posts. On the foot of the report of the committee on 23.10.1997 a communication was sent by the Registrar, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi to the Secretary Higher Education, Govt. of U.P. asking for sanction of fresh posts in the University. The letter discloses that the University is under staffed. The administration of University was being impeded by lack of adequate staff.
6. It is claimed by the petitioner that the list of employees who were working in the University in such temporary/contractual capacity along-with the requirements of the sanctioned posts was appended to the aforesaid letter. The list of such employees as appended to the writ petition shows the name of the petitioner at serial no.81. The name of one Sanjay Kumar Tiwari finds place at serial no.84 of the aforesaid list. This communication has not been denied in the counter affidavit.
7. Thereafter, the issue of regularisation of various contractual employees and other employees who were not regularly appointed engaged the attention of the University authorities.
8. On 7.2.2005 the University authorities decided to constitute a committee to consider and recommend the certificate writers for absorption. The Pro-Vice Chancellor was nominated as the Chairman of the aforesaid Absorption Committee. The other members of the Absorption Committee included the Registrar, Finance Officer/Accounts Officer, Deputy Registrar (Administration) and Deputy Registrar (Examination). The name of the petitioner figured in the list of 9 employees recommended for absorption by the said committee.
9. However, the Vice Chancellor of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, by letter dated 20.8.2007 only recommended the names of four certificate writers namely Pradeep Kumar Pathak, Sushil Kumar Tiwari, Manoj Kumar Dwivedi and Sanjay Kumar Tiwari for absorption in the University. A letter dated 20.8.2007 states that some employees who were working as certificate writers have left the employment of the University and on 20.8.2007 only four employees were working. These four employees were entitled to be absorbed. The letter further asserts that the lists of absorption is based on the "izFke vkxr izFke iznRr" (first come first serve). The letter then records that the seniority of the employees is also a consideration for absorption.
10. The letter dated 20.8.2007 further records that the absorption of such employees was agreed to in principle by the Execution Council of the University in its meeting held on 20.4.2005. The decision to regularise/absorb such employees was confirmed and reiterated in the meeting of the Executive Council of the University held on 18.12.2005. The order of the Vice Chancellor then finally records that the committee for absorption which included the Registrar and the Finance Officer made a recommendation for absorption of the aforesaid four employees by its letter dated 2.4.2006.
11. On the foot of the said letter dated 20.8.2007 sent by the Vice Chancellor four posts were sanctioned by the State Government. The said employees was thereafter absorbed on the said posts and they are working as regular employees against the sanctioned posts.
12. The grievance of the petitioner is that his name was arbitrarily left out from the list of employees recommended for absorption by the Vice Chancellor in the letter dated 20.8.2007.
13. The name of Sri Sanjay Kumar Tiwari, who is shown at serial no.84 (below the petitioner) in the lists appended to the letter dated 23.10.1997 has been approved for absorption.
14. The assertions in the communication dated 20.8.2007 and also the stand taken by the respondent University in its counter affidavit is that "most of the employees appointed on daily wages on the post of certificate writer have left the service either after getting the appointment else where or has left the service and only 4 employees namely Pradeep Kumar Pathak, Sushil Kumar Tiwari, Manoj Kumar Dwivedi and Sanjay Kumar Tiwari are performing the duties successfully." The recital in the communicated sent by the Vice Chancellor on 20.8.2007 and the aforesaid corresponding assertions in the counter affidavit is vague and it lacks material particulars of the employees who had left the University. The petitioner in the writ petition asserts that he has been continuously working in the respondent University. The said assertion has been traversed by vague averments in the counter affidavit by the University. The date on which he left the service has not been disclosed. On account of vague denial, the stand of the respondent University is disbelieved. The assertion made in the writ petition that the petitioner was working continuously stands established.
15. There are other evidences which corroborate the aforesaid finding of fact. The petitioners name for regularisation figured in the record of the proceedings dated 7.2.2005. The proceedings record that the case of the petitioner along-with the others shall be considered for regularisation. Further the aforesaid resolution was duly affirmed on successive

dates by the Executive Committee of the respondent University. It does not stand to reason that an employee whose regularisation has been finalised would leave service. The petitioner was shown senior to one Sanjay Kumar Twari in the list, which was originally sent to the State Government for sanction of posts on 23.10.1997. Sanjay Kumar has been regularised by respondent authority.

16. The exclusion of the name of the petitioner from the final list of candidates recommended for absorption and for regularisation. The action of the University is discriminatory, illegal and cannot be stand.

17. Arbitrary action by State authorities has to be tested on the anvil of Article 14 of the Constitution of India. Arbitrary action by State authorities is invalidated on the footing of Article 14 of the Constitution of India. The Hon'ble Supreme Court first set its face against arbitrary action of the State in the case of EP Royappa Vs. State of Tamil Nadu, reported at (1974)4 SCC 3. The Hon'ble Supreme Court introduced the new facet of Article 14 in EP Royappa (supra) by holding thus :-

"65 The last two grounds of challenge may be taken up together for consideration. Though we have formulated the third ground of challenge as a distinct and separate ground, it is really in substance and effect merely an aspect of the second ground based on violation of Articles 14 and 16. Article 16 embodies the fundamental guarantee that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. Though enacted as a distinct and independent fundamental right because of its great importance as a principle ensuring equality of opportunity in public employment which is so vital to the building up of the new classless egalitarian society envisaged in the Constitution, Article 16 is only an instance of the application of the concept of equality enshrined in Article 14. In other words, Article 14 is the genus while Article 16 is a species. Article 16 gives effect to the doctrine of equality in all matters relating to public employment. The basic principle which, therefore, informs both Articles 14 and 16 is equality and inhibition against discrimination. Now, what is the content and reach of this great equalising principle? It is a founding faith, to use the words of Bose. J., "a way of life", and it must not be subjected to a narrow pedantic or lexicographic approach. We cannot countenance any attempt to truncate its all-embracing scope and meaning, for to do so would be to violate its activist magnitude. Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions and it cannot be "cribbed, cabined and confined" within traditional and doctrinaire limits. From a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. In fact equality and arbitrariness are sworn enemies; one belongs to the rule of law in a republic while the other, to the whim and caprice of an absolute monarch. Where an act is arbitrary, it is implicit in it that it is unequal both according to political logic and constitutional law and is therefore violative of Article 14, and if it effects any matter relating to public employment, it is also violative of Article 16. Articles 14 and 16 strike at arbitrariness in State action and ensure fairness and equality of treatment. They require that State action must be based on valid relevant principles applicable alike to all similarly situated and it must not be guided by any extraneous or irrelevant considerations because that would be denial of equality. Where the operative reason for State action, as distinguished from motive inducing from the antechamber of the mind, is not legitimate and relevant but is extraneous and outside the area of permissible considerations, it would amount to mala fide exercise of power and that is hit by Articles 14 and 16. Mala fide exercise of power and arbitrariness are different lethal radiations emanating from the same vice: in fact the latter comprehends the former. Both are inhibited by Articles 14 and 16."

18. The law laid down by the Hon'ble Supreme Court in the case of EP Royappa (supra) has stood the test of time and has been followed consistently. The test of arbitrariness was refined in the case of Shayara Bano Vs. Union of India, reported at (2017) 9 SCC 1 which in turn was followed by the Hon'ble Supreme Court in Navtej Singh Johar v. Union of India reported at 2018 SCC OnLine SC 1350.

19. In the case of Shyara Bano (supra) the Hon'ble Supreme Court, adopted the definition of 'arbitrarily' as laid down in Sharma Transport Vs. State of Andhra Pradesh, reported at (2002) 2 SCC 188:

"25...The expression "arbitrarily" means: in an unreasonable manner, as fixed or done capriciously or at pleasure, without adequate determining principle, not founded in the nature of things, non-rational, not done or acting according to reason or judgment, depending on the will alone."

20. The policy for regularisation has not been denied. The eligibility of the petitioner for the regularisation is not contested.

21. In the light of the narrative in the preceding paragraphs -

(i) The claim of the petitioner for being regularised/absorbed in the respondent university against a sanctioned post is lawful and valid.

(ii) The petitioner is similarly situated to the four employees who were absorbed by order dated 2.2.2008.

(iii) The petitioner is found to be entitled to be regularised/absorbed in the respondent University from the date of the absorption of the four employees who was absorbed against the regular sanctioned posts by letter dated 2.2.2008.

22. A mandamus is issued commanding the respondent no.3, Registrar, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Secretary, Higher Education, Govt. of U.P. to take all consequential measures and take out an communications in regard to the absorption of the petitioner against a regularly sanctioned post within a period of six months from the date of receipt of certified copy of this order.

23. The writ petition is allowed.

Order Date :- 20.9.2018

Pramod

मा. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में परिषद् को प्रकरण से सम्बन्धित अधोलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया-

विश्वविद्यालय में उपाधि पत्र/प्रमाण पत्र लेखन का कार्य अत्यन्त पिछड़ जाने के कारण वर्ष 1992 से 1996 तक अधोलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति इस निमित्त निर्धारित दर पर की गई थी जो निम्न है-

1- श्री प्रदीप कुमार पाठक

वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992

2-	श्री रामायन त्रिपाठी	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
3-	श्री सुशील कुमार तिवारी	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
4-	श्री सुशील यादव	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
5-	श्री मनोज कुमार	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
6-	श्री अनिल कुमार सिंह	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
7-	श्री प्रभाकर मिश्र	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
8-	श्री सदानन्द पाण्डेय	वि.वि. आदेश सं.सा. 1327/92, दिनांक 22.08.1992
9-	श्री चन्द्रभूषण तिवारी	वि.वि. आदेश सं.सा. 1327/92, दिनांक 22.08.1992
10-	श्री गणेश दत्त शुक्ल	वि.वि. आदेश सं.सा. 1819/92, दिनांक 16.10.1992
11-	श्री काशीनाथ पाण्डेय	वि.वि. आदेश सं.सा. 1846/92, दिनांक 18.10.1992
12-	श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय	वि.वि. आदेश सं.सा. 1891/92, दिनांक 21.10.1992
13-	श्री मनोज कुमार द्विवेदी	वि.वि. आदेश सं.सा. 2666/96, दिनांक 08.04.1996
14-	श्री मुकेश बागवाड़ी	दिनांक 10.09.1996 से प्रशासनिक आदेश
15-	श्री संजय कुमार तिवारी	दिनांक 30.12.1996 से प्रशासनिक आदेश
16-	श्री निगमेश्वर पाण्डेय	दिनांक 30.12.1996 से प्रशासनिक आदेश

इसी बीच शासन से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनुमोदित पद पर नियुक्ति एवं दैनिक नियुक्त व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने तथा पालीवाल समिति के परिप्रेक्ष्य में पद सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त हुआ। शासन का यह भी निर्देश था कि उक्त प्रस्ताव में विश्वविद्यालय में पूर्व से सृजित पदों के सापेक्ष कर्मचारियों की संख्या, वांछित नवीन पदों की संख्या अनुमोदित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सूची शासन को विश्वविद्यालय द्वारा आख्या के साथ उपलब्ध करायी जाय।

तदनुसार पद सृजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव के साथ समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या सा.1527/97, दिनांक 31 अगस्त, 1997 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया।

शासन ने उक्त प्रस्ताव की समीक्षा के पश्चात् शासनादेश संख्या-2925/70-4/97-5(17), दिनांक 14 जनवरी, 1998 द्वारा शिक्षणोत्तर संवर्ग के 122 पदों के सृजन का आदेश उपलब्ध कराया गया। साथ ही शासन के आदेश सं. 428(1)/70-4-98-46(23)/95, दिनांक 4 अप्रैल, 1998 में दिये गये निर्देश के अनुसार उक्त पदों को समायोजित करने का निर्देश शासन द्वारा विश्वविद्यालय को दिया गया था।

उक्त पदों पर समायोजन के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या 428(1)/70-4/98-46(28)/95, दिनांक 4 अप्रैल, 1998 तथा शासनादेश संख्या 1154/70-4/98-47(28)/95, दिनांक 27 अप्रैल, 1998 के क्रम में विश्वविद्यालयों द्वारा शासन से कुछ विन्दुओं के निराकरण की अपेक्षा की गयी थी जिसके सम्बन्ध में शासन के शासनादेश संख्या 1297/70-4/98-46(28)/95, दिनांक 2 मई, 1998 के द्वारा विन्दु-4 में यह निर्देश दिया गया कि-

"75 पैसे पर प्रमाण पत्र लेखन अथवा इसी प्रकार की अन्य शर्तों के अधीन रखे गये कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया जायेगा।"

उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रमाण पत्र लेखन के कर्मचारियों का समायोजन नहीं हुआ।

उक्त के संदर्भ में यह भी सूचनाय है कि प्रमाण पत्र लेखकों द्वारा समायोजन हेतु किये गये मांग के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा प्रमाण पत्र लेखकों के सम्बन्ध में गठित समायोजन समिति की संस्तुति कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.04.2005 में प्रस्तुत की गयी थी।

उक्त समायोजन समिति ने अधोलिखित नौ (9) कर्मियों -

1-	श्री प्रदीप कुमार पाठक	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
2-	श्री सुशील कुमार तिवारी	वि.वि. आदेश सं.सा. 1248/92, दिनांक 14.08.1992
3-	श्री चन्द्रभूषण तिवारी	वि.वि. आदेश सं.सा. 1327/92, दिनांक 22.08.1992
4-	श्री गणेश दत्त शुक्ल	वि.वि. आदेश सं.सा. 1819/92, दिनांक 16.10.1992
5-	श्री काशीनाथ पाण्डेय	वि.वि. आदेश सं.सा. 1846/92, दिनांक 18.10.1992
6-	श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय	वि.वि. आदेश सं.सा. 1891/92, दिनांक 21.10.1992
7-	श्री मनोज कुमार द्विवेदी	वि.वि. आदेश सं.सा. 2666/96, दिनांक 08.04.1996

- 8- श्री संजय कुमार तिवारी
9- श्री निगमेश्वर पाण्डेय

दिनांक 30.12.1996 से प्रशासनिक आदेश
दिनांक 30.12.1996 से प्रशासनिक आदेश

के संदर्भ में संस्तुति की कि "सविदा पर की गयी सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष उनके आवेदन पर आवश्यकतानुसार आयु की सीमा सम्बन्धी उपबन्धों को शिथिल करने और अन्य बातों के समान रहने पर नियुक्ति में उन्हे वरीयता देने की व्यवस्था की जा सकती है। यतः कार्य परिषद् में उनके समायोजन करने की संस्तुति की है, फलतः प्रकरण को उसके समक्ष उपस्थित करते हुए उसे वस्तुस्थिति से अवगत कराने और संस्तुतियों के सम्पुष्ट की कार्यवाही की जा सकती है।

समायोजन समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों के सातत्य में कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रमाण पत्र लेखकों के सम्बन्ध में समायोजन समिति की बैठक दिनांक 22.03.2005 की संस्तुति को वरिष्ठता क्रम से उपलब्ध रिक्ति के अनुसार समायोजन को सैद्धान्तिक रूप में सहमति प्रदान करते हुए अगली कार्यपरिषद् की बैठक में पुनः प्रस्तुत करने का संकल्प पारित किया।

प्रमाण पत्र लेखकों के समायोजन के प्रकरण पर कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 19.12.2005 में पुनः निम्न निर्णय लिया-

"प्रमाण पत्र लेखकों के समायोजन पर विचार करने के लिए कुलसचिव द्वारा एक विस्तृत विवरण शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में बनाया जाय, जिसमें उनकी नियुक्ति की प्रकृति, सेवा अवधि सेवा में निरंतरता, प्रमाण पत्र लेखन हेतु किये गये भुगतान आरक्षण संवर्ग आदि का उल्लेख हो एवं उक्त विवरण के साथ समायोजन हेतु प्रस्ताव उ.प्र.शासन को भेजे जाने हेतु निर्देश प्रदान किया। इस कार्य में कुलसचिव यथा समय प्रो. राजीव रंजन सिंह एवं वित्ताधिकारी का भी सहयोग लेंगे।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.12.2005 में पारित निर्णय के सातत्य में प्रमाण-पत्र लेखन कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों के समायोजन पर विचार करने एवं अपनी संस्तुति प्रदान करने के लिए एक बैठक दिनांक 02.04.2006 को आयोजित की गयी जिससे निम्न सदस्य उपस्थित हुए-

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1- प्रो. सुभाष चन्द्र त्रिपाठी | - अध्यक्ष |
| 2- प्रो. राजीव रंजन सिंह | - सदस्य |
| 3- श्री विद्याधर त्रिपाठी | - कुलसचिव - सदस्य |
| 4- श्रीमती गीतिकना सुर | - वित्ताधिकारी - सदस्य |

समिति तथ्यों पर विचार करने के अनन्तर स्थिति स्पष्ट करते हुए संस्तुति की कि- मात्र 4 व्यक्ति 1. श्री प्रदीप कुमार पाठक, 2. श्री सुशील कुमार तिवारी, 3. श्री मनोज कुमार द्विवेदी, 4. श्री संजय कुमार तिवारी कार्य कर रहे हैं-

समिति उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी शासनादेशों आदि का अध्ययन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इनकी नियुक्ति तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा की गई है भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा चाहे जिस भी मद से किया गया हो। ये कर्मचारी 1992 से विश्वविद्यालय की सेवा करते आ रहे हैं तथा समायोजन की आशा में अन्यत्र कहीं गये भी नहीं। इन कर्मचारियों का समायोजन प्रारम्भ में ही हो जाना चाहिए था। जो शासन तथा विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के अभाव में नहीं हो सका। विश्वविद्यालय द्वारा समायोजन कर लिये जाने पर मुकदमें आदि के व्यय से भी विश्वविद्यालय को मुक्ति मिलेगी।

अतः समिति प्रबल रूप से इन प्रमाण पत्र लेखकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर तथा भविष्य की रिक्तियों में क्रमशः समायोजन की संस्तुति करती है।

समायोजन समिति की उपर्युक्त संस्तुति के सातत्य में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने पत्र संख्या वी.सी.1187/200/2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करते हुए उपर्युक्त चार कर्मियों के समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

कुलपति महोदय के उपर्युक्त पत्र के सातत्य में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2366/सत्तर-4-2007-5(7)97, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेखन कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि-





“शासनादेश संख्या-1297/70-4/98-46(28)/95, दिनांक 2 मई, 1998 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेखन कर्मचारियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या -428(1)/70-4-98-46(28)/95, दिनांक 4 अप्रैल 1998 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।”

शासन द्वारा प्राप्त उक्त शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में समायोजन समिति दिनांक 29.10.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के सातत्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 31.10.2007 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय आदेश सं.सा. 1814/2008, दिनांक 02.02.2008 द्वारा अधोलिखित चार कर्मों का समायोजन किया गया।

- 1- श्री प्रदीप कुमार पाठक
- 2- श्री सुशील कुमार तिवारी
- 3- श्री मनोज कुमार द्विवेदी
- 4- श्री संजय कुमार तिवारी

उक्त चारों कर्मचारियों के समायोजन के सातत्य में प्रमाण पत्र लेखक के रूप में कार्य कर रहे श्री निगमेश्वर पाण्डेय ने मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-22831/2008 योजित की। श्री पाण्डेय द्वारा याचिक निम्न अनुरोध के साथ दाखिल की-

- 1- कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2008 (सं.सा. 1814/2008) को निरस्त किया जाय।
- 2- प्रतिवादी गणों को निर्देश दिया जाय कि वे याची का समायोजन नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर करें क्योंकि उनसे कनिष्ठ का समायोजन हो गया है।
- 3- साथी ही याची के प्रत्यावेदन दिनांक 04.02.2008, 10.02.2008, 26.02.2008 तथा 06.03.2008 का निस्तारण करें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2018 को याचिका स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं.प्रतिवादी सं.-3 अर्थात् कुलसचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि माननीय न्यायालय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के छ माह के अन्दर स्थायी पद के सापेक्ष की जायें। उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन पक्ष में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत है-

20. The policy for regularisation has not been denied. The eligibility of the petitioner for the regularisation is not contested.
21. In the light of the narrative in the preceding paragraphs -
 - (i) The claim of the petitioner for being regularised/absorbed in the respondent university against a sanctioned post is lawful and valid.
 - (ii) The petitioner is similarly situated to the four employees who were absorbed by order dated 2.2.2008.
 - (iii) The petitioner is found to be entitled to be regularised/absorbed in the respondent University from the date of the absorption of the four employees who was absorbed against the regular sanctioned posts by letter dated 2.2.2008.
22. A mandamus is issued commanding the respondent no.3, Registrar, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Secretary, Higher Education, Govt. of U.P. to take all consequential measures and take out an communications in regard to the absorption of the petitioner against a regularly sanctioned post within a period of six months from the date of receipt of certified copy of this order.
23. The writ petition is allowed.

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में श्री निगमेश्वर पाण्डेय को भी श्री प्रदीप कुमार पाठक एवं अन्य तीन के समान नैतिक लिपिक पद (वर्तमान में कनिष्ठ सहायक) पर समायोजन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

उक्त के क्रम में परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि परिषद् के अन्य सदस्यों के साथ-साथ कार्यपरिषद् में मा. कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य मा. न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह को भी प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य एवं मा. न्यायालय का आदेश प्रेषित किया गया था। प्रकरण के संदर्भ में अध्ययन करने के पश्चात् मा. न्यायमूर्ति श्री सिंह ने अपना अधोलिखित लिखित मन्तव्य प्रेषित करते हुए कहा है कि उनके मन्तव्य से सभी सदस्यों को अवगत करा दिया जाय-

Justice D.P. Singh
Former Judge Allahabad High Court
Chairman,
"Eastern U.P. Rivers and Water
Reservoirs Monitoring Committee"
(Constituted by National Green Tribunal)
Principal Bench, New Delhi (Dt. 23.9.18
in O.A. No. 116/2014)



Environment Directorate, UP
Vineet Khand-1, Gomti Nagar
Lucknow -226010
Email: manev.2018@gmail.com
Mob. : 9005400011

Letter no. 01/2019, dated 14.03.2019

To,
The Vice Chancellor,
Sampoornanand Sanskrit Vishvavidyalaya,
Varanasi.

Dear sir,

I am in receipt of Agenda with regard to meeting of the Executive Council scheduled for 17th March, 2019 at 2 p.m in Yog Sadhna Kendra of the University. The items under Agenda relate to regularisation of 16 employees, who were appointed in the University at different times in the past directly without any advertisement or sanction of posts. Attention through the Agenda has been invited to the judgment and order of the Hon'ble High Court dated 20.09.2018 passed in Writ-A No. 22831 of 2008 in re: Nigmeshwar Pandey vs State of U.P and others.

It appears that the Executive Council in its meeting dated 20.04.2005 took a decision for regularisation/absorption of aforesaid 16 employees and this decision was reiterated in subsequent meeting of the Executive Council held on 18.12.2005, followed by recommendation of the Finance Officer. The nature of appointment has been dealt with in paras 14 and 15 of the judgment of the Hon'ble High Court (supra), which are reproduced as under:

"14. The assertions in the communicated dated 20.08.2007 and also the stand taken by the respondent University in its counter affidavit is that "most of the employees appointed on daily wages on the post of certificate writer have left the service either after getting the appointment else where or has left the

1

service and only 4 employees namely Pradeep Kumar Pathak, Sushil Kumar Tiwari, Manoj Kumar Dwivedi and Sanjay Kumar Tiwari are performing the duties successfully." The recital in the communicated sent by the Vice Chancellor on 20.08.2007 and the aforesaid corresponding assertions in the counter affidavit is vague and it lacks material particulars of the employees who had left the University. The petitioner in the writ petition asserts that he has been continuously working in the respondent University. The said assertion has been traversed by vague averments in the counter affidavit by the University. The date on which he left the service has not been disclosed. On account of vague denial, the stand of the respondent University is disbelieved. The assertion made in the writ petition that the petitioner was working continuously stands established.

15. There are other evidences which corroborate the aforesaid finding of fact. The petitioner's name for regularisation figured in the record of the proceedings dated 7.2.2005. The proceedings record that the case of the petitioner along-with the others shall be considered for regularisation. Further the aforesaid resolution was duly affirmed or successive dates by the Executive Committee of the respondent University. It does not stand to reason that an employee whose regularisation has been finalised would leave service. The petitioner was shown senior to one Sanjay Kumar Tiwari in the list, which was originally sent to the State Government for sanction of posts on 23.10.1997. Sanjay Kumar has been regularised by respondent authority."

The Hon'ble High Court has relied upon the judgments of the Apex Court in *EP Royappa vs State of Tamil Nadu*, reported in (1974) 4 SCC 3, *Shayara Bano vs Union of India*, reported in (2017) 9 SCC 1, *Navtej Singh Johar vs Union of India*, reported in 2018 SCC On Line SC 1350 and *Sharma Transport vs State of Andhra Pradesh*, reported in (2002) 2 SCC 188. All these judgments relate to arbitrary exercise of power. But the fact remains that the decision taken by the University for regularisation of 16 persons was behind back

2

7

without advertisement of the posts and the material on record does not indicate that they were appointed against sanctioned posts or the vacancies had been created for their regularisation.

The law with regard to regularisation and absorption has been thoroughly dealt with by the Hon'ble Supreme Court in the case of *State of Karnataka and others vs Umadevi and others*, decided on 10.04.2006, reported in (2006) 4 SCC 1. The judgment of Umadevi has been followed in *Municipal Corporation, Jabalpur vs. Om Parkash Dubey* reported in (2007) 1 SCC 373. The case of Umadevi being directly related to the question of regularisation of ad hoc and temporary employees and having been rendered by the Constitution Bench has binding effect. The Hon'ble Single Judge in the case of *Nigmeshwar Pandey* (supra) has dealt with the arbitrariness in exercise of powers, but has not considered the foundation and grounds on which the services of ad hoc or temporary employees may be regularised, hence appears to be *per incuriam* to the law laid by the Hon'ble Supreme Court.

While sitting in the Bench at Lucknow, I have decided a writ petition bearing No. 3699 (5/5) of 1985 in re: *Afsar Shahin vs Basic Shiksha Parishad and others* (connected with bunch of petitions), reported in (2004) 22 LCD 1164. The case related to Urdu teachers, who were serving for 14-16 years. The petitions were dismissed on the ground that the appointments were de hors the rules. This judgment has been upheld by the Hon'ble Supreme Court in the case of *Mohd Sartar vs State of UP* decided on 16.01.2006, reported in (2006) 2 SCC 315.

In view of above, the conditions precedent for regularisation are:-

- (1) Whether all 16 persons aforesaid were appointed on temporary or ad hoc basis against sanctioned posts?
 - (2) Whether the vacancies for temporary or ad hoc appointments were advertised?
 - (3) Whether sanctioned posts are available for regularisation of aforesaid 16 persons?
 - (4) Whether the University statute empowers the Executive Council to take a decision by its resolution to regularise the services of said ad hoc/temporary employees?
- 3
- (5) Whether any rule has been framed by the University, followed by inclusion in first statute to regularise the services of ad hoc or temporary employees, that too under the teeth of fact that such appointments had been made without advertisement?

It may be noted that power of Executive Council is confined to implementation of rules or first statute and not beyond that. In case anything is done beyond the rules and in violation of law laid down by the Hon'ble Supreme Court, it would be arbitrary exercise of powers whether it is Executive Council or any authority/person, whosoever he may be, as held by the Hon'ble Single Judge. The concluding portion of the order of learned Single Judge of the High Court shows that the petition was allowed on the ground that the eligibility of petitioner for regularisation was not contested by the University. Paras 20 and 21 of the judgement are reproduced as under:

"20. The policy for regularisation has not been denied. The eligibility of the petitioner for the regularisation is not contested.

21. In the light of the narrative in the preceding paragraphs-

(i) The claim of the petitioner for being regularised/absorbed in the respondent university against a sanctioned post is lawful and valid.

(ii) The petitioner is similarly situated to the four employees who were absorbed by order dated 2.2.2008.

(iii) The petitioner is found to be entitled to be regularised/absorbed in the respondent University from the date of the absorption of the four employees who was absorbed against the regular sanctioned posts by letter dated 2.2.2008."

In the present case, at the face of record, it appears that the learned counsel for the University had neither contested nor drawn the attention of the High Court to the leading judgments (supra) of the Hon'ble Supreme Court with regard to regularisation of employees. Attention of the Hon'ble High Court has not been


invited by the counsel for the University towards any statutory provision, if any, which empowers the Executive Council to take a decision for such regularisation. Power of Executive Council has also not been discussed or cited in the judgment. The decision of any committee does not *ipsi dixit* take the shape of statutory mandate, but it must be accepted by framing bylaws, rules or regulations to extend its benefits, which appears to have not been done. The absorption committee also has not pointed out any statutory provision which empowers it to take a decision for regularisation. Since the decision taken at different level for regularisation is de hors the rules, it cannot be a basis for the High Court to issue a mandamus for regularisation of services of any employee. It appears that learned counsel for the petitioner as well as learned counsel for the University were hand-in-gloves to help the employee, hence they did not draw the attention of the High Court to the statutory provisions as well as the law laid down by the Hon'ble Supreme Court (supra).

I feel that it is a fit case where the University should prefer an intra court appeal or special appeal before the Division Bench of the Allahabad High Court.

Kindly circulate my opinion to the members of the Executive Council to consider and take an appropriate decision in the matter.

Thanking you.

With kind regards,


(Justice Devi Prasad Singh)

मा. उच्च न्यायालय के आदेश उपर्युक्त समस्त तथ्यों तथा मा. न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह के लिखित मन्तव्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मा. उच्च न्यायालय के आदेश एवं मा. न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह के लिखित मन्तव्य को दृष्टि में रखते हुए प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त कर ली जायें। विधिक राय प्राप्त करने के लिए कार्यपरिषद् ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कार्यक्रम संख्या -4- मान्यता समिति की बैठक, दिनांक 04.10.2017 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सम्बद्धता समिति/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 की अघोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।





सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्बद्धता समिति/भाष्यता समिति

दिनांक 04-10-2017
समय-01:00
भाष्य- कुलपति कार्यालय

- 1- प्रो० यदुनाथ प्रसाद दुबे, कुलपति
- 2- प्रो० हर प्रसाद श्रीवास्तव
- 3- शिक्षा निदेशक
- 4- विदेशीय उपाध्यक्ष शिक्षा
- 5- कुलसचिव

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सचिव

संख्या 5/सा
दिनांक 04/10/17
समय 01:00
भाष्य- कुलपति कार्यालय

सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 04-10-2017 में विद्यार्थी प्रस्तुत होने वाले महाविद्यालय:

- 1- **निरीक्षण संकटन की संस्तुतियों पर विचार:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 13-09-2016 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.0273 हेक्टेयर, 06 कवा 20=25 फुट, 3 कवा 10=15 छोल का रीक्षण एवं पुस्तकालय कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण की संस्तुति की गयी है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की भूमि कि रजिस्ट्री/दस्तावेज/सदर अर्भिलेख प्रस्तुत करने पर शास्त्री साहित्य, व्याकरण विषय की सम्बद्धता/भाष्यता की संस्तुति प्रदान करती है।
- 2- **श्रीरंज कुशवा संस्कृत महाविद्यालय और, रामनगर, जौनपुर:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 17-08-2017 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 21000 वर्गफुट 8 कवा 20=25, 3 कवा, 20=30 तथा पुस्तकालय एवं कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष एवं अरबी की संस्तुति की गयी है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की भूमि की रजिस्ट्री/दस्तावेज/सदर अर्भिलेख प्रस्तुत करने पर शास्त्री साहित्य, व्याकरण, पुस्तकालय की संस्तुति प्रदान करती है।
- 3- **श्री पंडित सत्यनारायण द्विवेदी संस्कृत महाविद्यालय, दुबेपुर, विशुनपुर, चम्पली:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 24-08-2017 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 190 एकर, 06 कवा 20=20, 01 कवा 40=20, एवं पुस्तकालय एवं कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा शास्त्री साहित्य एवं पुस्तकालय 'ख' एवं पुस्तकालय की संस्तुति की गयी है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की शास्त्री साहित्य, एवं पुस्तकालय 'ख' एवं पुस्तकालय की सम्बद्धता/भाष्यता की संस्तुति प्रदान करती है।
- 4- **श्री ७००० नाम संस्कृत महाविद्यालय जगदीशपुर, श्री. जगदीशपुर, कुशीनगर:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 31-01-2017 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.2510 हेक्टेयर, कवा 05, 18=22, 2 कवा 18=31.6, पुस्तकालय एवं कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा उपलब्ध सहायों के आधार पर व्याकरण आदि विषय सामान्य रूप से ही संस्तुति प्रदान करती है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की भूमि एवं शास्त्री साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/भाष्यता पुर्नजीवित करने की संस्तुति की जाती है।
- 5- **श्री चम्पली परसुकाचार्य आर्य संस्कृत महाविद्यालय दुलारगंज, राय, बलारगंज, जौनपुर:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 02-10-2017 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1.0 बिघा, 17 कवा 27=15, 03 कवा 00=50, पुस्तकालय एवं कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा विचारण की भूमि लीज पर विद्यार्थी द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैद और परबि) विषय की संस्तुति प्रदान किया गया है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की भूमि एवं शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैद और परबि) विषय की संस्तुति प्रदान करती है।
- 6- **श्री ज्योतिष अरुण संस्कृत महाविद्यालय अरुणिकादेवी, कुलकर्णपुर:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 02-10-2017 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1.0 बिघा, 17 कवा 27=15, 03 कवा 00=50, पुस्तकालय एवं कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा विचारण की भूमि लीज पर विद्यार्थी द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैद और परबि) विषय की संस्तुति प्रदान किया गया है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की भूमि एवं शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैद और परबि) विषय की संस्तुति प्रदान करती है।
- 7- **श्री राम आर्य संस्कृत महाविद्यालय, रामपुर दुबन सिंह, जौनपुर:**
संस्तुति-विचार विमर्श के अनुसार समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण संकटन ने दिनांक 17-08-2017 की स्वस्थीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 21000 वर्गफुट 10 कवा 20=25, 09 कवा 20=30 तथा पुस्तकालय एवं कक्षा उपलब्ध है। निरीक्षण संकटन द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष एवं अरबी की संस्तुति की गयी है। अतः निरीक्षण संकटन की संस्तुति के परिपेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय की भूमि की रजिस्ट्री/दस्तावेज/सदर अर्भिलेख प्रस्तुत करने पर शास्त्री साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष एवं अरबी की सम्बद्धता/भाष्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

सं. 5/सा
दिनांक 4/10/17

सं. 5/सा
दिनांक 4/10/17

सं. 5/सा
दिनांक 4/10/17

सं. 5/सा
दिनांक 4/10/17

अध्यक्ष की अनुमति से-

(1) आदर्श संस्कृत महाविद्यालय तुलापुर मुकुन्दर सोरांव, इलाहाबाद।

संस्तुति-विचार विमर्श के अनन्तर समिति ने संस्तुति प्रदान किया कि निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 16-08-2017 को स्वलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.3080 हेक्टेयर, 08 कक्ष 20x25 फुट, 4 कक्ष 20x120 खेल का मैदान एवं पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध है। निरीक्षण मण्डल द्वारा शास्त्री साहित्य, व्याकरण की संस्तुति की गयी है। अतः निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में यह समिति महाविद्यालय को शास्त्री साहित्य, व्याकरण विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

(2) वीर राघव भागवत संस्कृत महाविद्यालय युगल विहार कुंज, अयोध्या, फैजाबाद।

सम्बद्धता समिति के समक्ष प्रबन्धक का प्रत्यावेदन दिनांक 02-08-2017 जिस पर कुलपति महोदय का आदेश दिनांक 03-08-2017 अंकित है, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। संज्ञान में आया की मान्यता के विषय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21-08-2014 का अंकित निस्तारण अद्यावधि नहीं हुआ है। मान्यता समिति की बैठक दिनांक 15-06-2016 की संस्तुति को संज्ञान में लेते हुए पुनः उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुए प्रार्थित मान्यता शास्त्री साहित्य, पुराणेतिहास प्रदान करने हेतु प्रकरण को पुनः कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की जाती है।

(3) राजगुरु श्रीकृष्ण पाण्डेय संस्कृत महाविद्यालय शास्त्री नगर खेलहा, प्रतापगढ़।

निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 08-07-2016 को स्वलीय निरीक्षण के पश्चात यह पाया कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.6630 हेक्टेयर, 06 कक्ष 25x20 फुट, प्राचार्य कक्ष एवं वाचनालय 16x12 फुट, 10x20 फुट, खेल का मैदान एवं पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मान्यता समिति की संस्तुति दिनांक 20-08-2016 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21-08-2016 के निर्णय में निर्देशित शपथ पत्र एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की वांछित आख्या को मान्यता समिति ने संज्ञान में लिया और मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति पूर्व से ही पूर्ण की गयी स्थिति के आलोक में शास्त्री व्याकरण, पुराणेतिहास, साहित्य विषय की सम्बद्धता/मान्यता की संस्तुति प्रदान करती है।

4/10/17

4/10/17

4/10/17

4/10/17

सम्बद्धता/मान्यता समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश के बाहर के जिन दो महाविद्यालय के संदर्भ में समिति ने संस्तुति की है, उनके संदर्भ में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिस और सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है अथवा नहीं।

कार्यक्रम संख्या-5- स्थानीय न्यायालय, वाराणसी में अधिवक्ता के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा नामित अधिवक्ता श्री अमित कुमार शुक्ल के कार्यकाल में वृद्धि के संदर्भ में विचार।

परिषद् को अवगत कराया गया कि स्थानीय न्यायालय, वाराणसी के स्थायी अधिवक्ता के रूप में श्री अमित कुमार शुक्ल वर्ष 2004 से कार्यरत हैं। स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश में कोई कार्यावधि निर्धारित नहीं की गयी है। विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि स्थायी अधिवक्ता की समायावधि निर्धारित की जाय।

कार्यपरिषद् उक्त पर विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लिया कि स्थानीय न्यायालय, वाराणसी के स्थायी अधिवक्ता श्री अमित कुमार शुक्ल का कार्यकाल अभी एक वर्ष और बढ़ा दी जाए। तत्पश्चात् उनके कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात् समयावधि बढ़ाने पर विचार किया जाए।

कार्यक्रम संख्या-6- परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 के विनिश्चय 14 में लिये गये निर्णय के सातत्य में श्री विष्णुशंकर सिंह के प्रकरण पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 के विनिश्चय 14 में लिया गया निर्णय निम्नवत् है-

1. पृष्ठा 14.- श्री विष्णु शंकर सिंह द्वारा एफ.आई.आर. वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर विचार। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 में शिक्षा शास्त्री परीक्षा वर्ष 1985 का अनुक्रमांक 3346 विष्णु शंकर सिंह को आवण्टित होने सम्बन्धी विवाद के निस्तारण हेतु मूल सारणीयन पंजिका का अवलोकन कर निर्णय लेने के विचार के क्रम में पूर्व में की गई जांच से प्राप्त आख्याओं से अपनी सहमति प्रकट करते हुए श्री सिंह का प्रत्यावेदन पोषणीय न होने के कारण अन्तिम रूप निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री विष्णु शंकर सिंह का स्पेशल अपील स. 322/2018, 323/2018, 300/2018 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है।


श्री विष्णु शंकर सिंह ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली सन्दर्भ संख्या 40018818055415 के माध्यम से एफ.आई.आर. निरस्त करने तथा पुनः प्रकरण की सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस सन्दर्भ में श्री सिंह ने दिनांक 11.01.2019 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। (छाया प्रति संलग्न) उक्त पर विचार।

निर्णय:-

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में श्री विष्णुशंकर सिंह द्वारा जनरुनवाई के अर्न्तगत प्राप्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि पूर्व की परीक्षा समिति के निर्णय से श्री सिंह को अवगत करा दिया जाय।

श्री सिंह पर दर्ज प्राथमिकी को वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन सहित समग्र प्रकरण आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा नियन्त्रक के धन्यवाद प्रस्ताव के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।


परीक्षा नियन्त्रक
सचिव/सदस्य-परीक्षा समिति
सं० सं० वि० वि०, वाराणसी
25.02.19

तथा श्री विष्णुशंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत अधोलिखित प्रत्यावेदन दिनांक 15.03.2019 प्रस्तुत किया गया।



30 प्रो माध्यमिक शिक्षक संघ

(पंजीयन संख्या 2292-1-7528)

प्रमोद चतुर्वेदी

विष्णु शंकर सिंह
अध्यक्ष मण्डल-मोरखपुर
फोन : 9452372333, 9389464075
राज्य अधिल भारतीय जयस्य पार्टी

राज्य हॉटेल, ब्लाक 4, फ्लोर 6B, विधासक निवास, लखनऊ
अध्यक्ष/प्रधानाध्यक्ष
इंदिरा गांधी उ. मा. विद्यालय, लखनऊ काजार, राजधानी, मोरखपुर
निवास : मोरखनगर पेट्रिकल कॉलेज रोड, लखनऊ, चक्रवर्ती ओवर ब्रिज,
बनारस-01, (मण्डलीय) निवासी अवेन्यू आई बॉर्डर, मोरखनगर, मोरखपुर

दिनांक 15.03.2019

पत्रिका संख्या में श्रीमान् परीक्षा निदेशक/कर्मचारी/सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रारणनी।

विषय - विम्बासिका के परीक्षण हेतु पांचविनामागमियों की एक समिति गठित करारकर निर्णय परित करने हेतु कार्यपरिषद द्वारा अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय, सर्वप्रथम प्रकरण में अनुमति है कि जब तक निम्न विन्दुओं की माहदाई से परीक्षण नहीं होगी तब तक वास्तविक निर्णय न्यायसंगत नहीं होगी।

अतः निर्णय है कि संलग्न संख्याओं पर उल्लिखित विष्णु शंकर सिंह का माप विभागाध्यक्षों की एक समिति गठित कर निर्णय परित करने हेतु कार्यपरिषद से अनुमति देने की प्रार्थना की जाय।

- 1- यह कि बी0ए030 परीक्षा सन् 1985-86 के दिनांक 13-12-1988 को अक्षय प्रिण्ट है। (संलग्नक-01)
- 2- यह कि अनुक्रमक 3346 पर रजिस्टर क्रमांक 271 से दिनांक 20-06-1992 को स्थानान्तरण प्रमाण पर (टी0बी0) निर्गत है। रजिस्टर का पी0एन0 नहीं दे रहे हैं। (संलग्नक-02)
- 3- यह कि बी0ए030 परीक्षा 1985 में कार्यपरिषद द्वारा दिनांक 29-06-1989 को एक जोड़ समिति में उत्तर की है। जोड़ समिति के रूप में एक ही प्रश्नसूची दिनांक 21-06-1989 को परीक्षा किया जा चुका है। (संलग्नक-03)
- 4- यह कि बी0ए030 परीक्षा 1985 में कार्यपरिषद प्रस्ताव दिनांक 30-06-2012 द्वारा यह कहा गया है कि पत्रा बदलकर, कटिंगकर, खुरचकर व मिटाकर मूल जगहों के स्थान पर गोप्य नाम लिख कर माहदाई उल्लिखित को व्यापक स्तर पर बिछी देने की व्यवस्था की गयी है। (संलग्नक-04)
- 5- यह कि बी0ए030 परीक्षा 1985 में दो नामांकन विष्णु शंकर सिंह एवं शंकर दयाल एक साथ एक ही उपाय प्रमाण एन द्वितीय हुए मूल हस्तालिखित कार्यावली अनुक्रमक 3348 पर जगद दयाल सिंह हस्तालिखित है और अनुक्रमक 3346 विष्णु शंकर सिंह के स्थान पर जो बी0ए030 परीक्षा 1985 में अनुक्रमक 3346 नाम दाह्य है। यह वर्षीय प्रतिफल में दाह्य नाम वाणिक कुमार मिश्र को विश्वविद्यालय रिकार्ड में न छात्र होने का प्रमाण है नहीं पता ठिकाना ही है नही कोई प्रमाण पत्र ही जारी करने का प्रमाण है। जोड़ समिति के सम्बन्ध विज्ञापन द्वारा सूचना देने पर भी उत्तरित नहीं हुए। (संलग्नक-05)
- 6- यह कि बी0ए030 परीक्षा 1985 के अनुक्रमक 3346 पर दाह्य नाम को मूलतः स्वीकृत करने के लिए टी0बी0 रजिस्टर की प्राप्ति हेतु जो 1989 दिवस गत उन्ही संख्या पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद से लिखाकर अपीलित कर दिनांक 29-06-2016 को परीक्षा समिति ने प्राप्ति के विरुद्ध न प्रस्ताव परित किया है, जोड़ समिति के अध्यक्ष कुमार मिश्र के पत्र में कोई प्रमाण नहीं दिया गया तथा प्रस्ताव दिनांक 29-06-2016 को 3889 पर प्रेषित कर दिया गया है। प्रस्ताव पर परीक्षा समिति दिनांक 15-06-2017 को प्रतिक्रिया देने करने जब प्रस्ताव परित किया है और टी0बी0 रजिस्टर के लिए दिनांक 17-06-2013 को पत्र दिया है कि 20 वर्ष पुराना रिकार्ड नहीं हो जा सकता है। (संलग्नक-06)
- 7- यह कि प्रस्ताव 11-06-2017 को मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 30-11-2017 को अग्रण्य कर दिया है। अतः प्रस्ताव दिनांक 08-12-2015 को प्रतिक्रिया दर्ज करने हेतु पत्र निर्गत है जिसमें मा0 न्यायालय में दिनांक 13-08-2018 को प्रश्न लगाकर माधिक निवेदन किया है जिसमें उपरोक्त का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

दिनांक

प्राप्ति *(Signature)*
(विष्णु शंकर सिंह)
जय परीक्षा बी0ए030 1985
अनुक्रमक : 3346

कार्यपरिषद ने परीक्षा समिति की उपर्युक्त संस्तुति एवं श्री विष्णुशंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 एवं 11.08.2017 में लिये गये निर्णय में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार

1- पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में विचार-

कार्यपरिषद के समक्ष पं.दीनदयाल शोधपीठ स्थापना के सम्बन्ध में अधोलिखित शासनादेश प्रस्तुत किया गया-

(Signature)

13

सं.स. 1766/2018
10.12.2018

10000/554/18
10/11/18

समयबद्ध / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-1774/सत्तर-4-2018-1115/2017

प्रेषक,
मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कुलसचिव,

1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
3. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज
4. संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
5. डॉ० राम मनोहर लोहिया अग्र विश्वविद्यालय, फैजाबाद
6. उमाजा मुईनुद्दीन पिरती, उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ
7. डॉ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
8. वृन्देलाखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
9. वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर
10. डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
11. महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
12. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

विषय :- पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना के संबंध में।
महोदय,

लखनऊ : दिनांक 04 नवंबर, 2018

- उद्देश रिक्त राज्य विश्वविद्यालयों में पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹० 50.00 लाख की धनराशि (दो किरतों में) प्रति विश्वविद्यालय अवमुक्त किया गया। प्रथम किस्त अवमुक्त किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-68/2017/1809/ सत्तर-4-2017-1115/2017 दिनांक 01.12.2017 के प्रस्तर-1 में निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख किया गया है-
1. विश्वविद्यालय में पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना प्राविधानित धनराशि ₹० 50.00 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि से शोध कार्य हेतु निधि की स्थापना की जाएगी, जिससे अर्जित हानि वाले व्यय से आगामी वर्ष में पं० दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतिव्यय व वितन के सम्बन्ध में संमिगार/वर्कशौप/सिम्पोजिएम का आयोजन किया जाएगा।
 2. 10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग शोध पीठ की स्थापना हेतु पुरतको के कय व शोध पत्रों के प्रकाशन पर किया जाएगा।
 3. 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापना के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित कर आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर नियमानुसार व्यय की जाएगी।
- 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त शोधपीठ के स्थापना हेतु अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं शोधपीठ द्वारा अब तक के किया-कलाप (Activities) का विवरण शासन को दिनांक 10.12.2018 तक उपलब्ध कराने का वाक्य करें।

भवदाय
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

उक्त शासनादेश के संदर्भ में परिषद् को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 1995/सत्तर-4-2017-1115/2017, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 के द्वारा विश्वविद्यालयों में पं० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किस्त ₹. 25 लाख अवमुक्त किया गया था। शासन द्वारा अवमुक्त राशि को विश्वविद्यालय खाते में जमा न करते हुए

अपरिहार्य कारणों से धन का उपयोग नहीं किया गया तथा स्वीकृत समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी गयी।

पुनः इस वर्ष शासन द्वारा की गयी पृच्छा के सातत्य में कुलपति महोदय ने उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के सातत्य में विश्वविद्यालय में पं.दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रो. शैलेश कुमार मिश्र, आचार्य-सामाजिक विज्ञान विभाग को संयोजक नियुक्त किया।

प्रो. शैलेश कुमार मिश्र ने शोधपीठ स्थापना के सम्बन्ध में अधोलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-

श्री शैलेश कुमार मिश्र
अध्यक्ष-परिषद्



श्री 0 नं० - 09415444525
ई-मेल - shaileshavv@gmail.com
आचार्य शोधपीठ शाखा,
सामाजिक विज्ञान विभाग,
उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय, काशी-221005

दिनांक : 02.10.2017

**पं० दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ
प्रस्ताव**

1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पंजिका दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित किये जाने हेतु पचास लाख (₹ 50,00,000/-) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसमें शासन के निर्देश के अनुसार कुल धनराशि का पचास प्रतिशत (₹ 25,00,000/-) की एक निधि स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत पं० दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तिगत कुतिल एवं चिन्तन पर लेमिनार/ वर्गीकरण/ सिम्पोजियम आदि सब आयोजन किया जायेगा।	
2. इस प्रतिशत धनराशि ₹ 5,00,000/- शोध पीठ की स्थापना हेतु पुरस्कारों के क्रय-विक्रय एवं शोधपत्रों के प्रकाशन पर किया जायेगा।	
3. शेष धनराशि प्रतिशत (बीस लाख रूपया) धनराशि हेतु प्रस्ताव निम्नवत् है -	
I. कम्प्यूटर आउटलेट सह कार्यालय सहायक प्रतिमाह (दस हजार रूपया)	3,00,000/-
II. विपदाय, पिटर, स्टेशनरी आदि (₹ 0 अरबी हजार)	60,000/-
III. पल्लो मीट, पार्टी, (₹ 0 पच्चीस हजार)	25,00,000/-
IV. कम्प्यूटर आउटलेट सह कार्यालय सहायक प्रतिमाह (दस हजार रूपया)	6,00,000/-
10,000/- पीछ धर्म के लिए। (कुल योग ₹ 6,00,000/-)	
V. परिवारिक (सप्त हजार रूपया) 7000/- प्रतिमाह 5 वर्ष के लिए (कुल योग- ₹ 42,00,000/-)	42,00,000/-
VI. पंजिका दीनदयाल उपाध्याय के जीवन एवं चिन्तन पर शोध करने वाले (पीएचडी-डी० उपाधि हेतु) को अध्येतावृत्ति (बीस हजार रूपया) 20,000/- प्रतिमाह 2 वर्ष के लिए। (कुल योग- 48,00,000/-)	48,00,000/-
VII. पंजिका दीनदयाल उपाध्याय के जीवन एवं चिन्तन पर पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप (पी०डी०एफ०) की अध्येतावृत्ति (पच्चीस हजार रूपया) 25,000/- प्रतिमाह दो वर्ष के लिए। (कुल योग- ₹ 60,00,000/-)	60,00,000/-
	कुल योग- 250,50,000/-

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित शोधपीठ की स्थापना हेतु ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, परन्तु कतिपय परिस्थितियों वश उसका उपयोग नहीं हो सका।

अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में दोनों विस्तों की धनराशि अपेक्षित है। अतः शासन को प्रस्ताव के क्रम में दोनों विस्तों की समकित धनराशि (₹ 50,00,000/-) पचास लाख अपेक्षित है।

शैलेश कुमार मिश्र
संयोजक

पं० दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ

उपर्यक्त समस्त तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के उक्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

2. सम्बद्धता समिति के सदस्य नामित करने के सम्बन्ध में विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियम 12.11(1)(ख) के अंतर्गत सम्बद्धता समिति में कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य प्रो. हर प्रसाद दीक्षित का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके स्थान पर नया सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा नामित होना है।

उक्त पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से परिनियम 12.11(1)(ख) के अंतर्गत सदस्य नामित करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

3. शासन द्वारा जनपदों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में -

कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इलाहाबाद एवं फैजाबाद जिले में स्थित महाविद्यालयों में शासन के निर्णय के सातत्य में जिला नाम में अंकित इलाहाबाद एवं फैजाबाद के स्थान पर क्रमशः प्रयागराज तथा अयोध्या अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की।

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिवजी/कुलपति महोदय
हृषमा अरुणोदयान
28/3/19

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि. वाराणसी

28.3.19